कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1415078 दि० 01-10-2014

पत्र संख्या - विधि-4(1)पंजीयन परिपत्र भाग-4(14-15) 946 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर
(विधि अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ : दिनांक : अक्टूबर 01, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय : पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु लम्बित प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या पत्र संख्या-विधि-4(1)पंजीयन परिपत्र भाग-4 (14-15) परिपत्र भाग-4/323/ वाणिज्य कर दिनांक 18.06.2014 कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1415047/ वाणिज्य कर दिनांक 17.07.2014 तथा परिपत्र संख्या-विधि-4(1)पंजीयन परिपत्र भाग-4(14-15/807/ 1415065/ वाणिज्य कर दिनांक 03.09.014 का संदर्भ लें जिसके द्वारा निर्देश दिये गये थे कि संशोधन हेतु लम्बित सभी पुराने पंजीयन प्रमाण पत्रों का निस्तारण दिनांक 30.09.2014 तक प्रत्येक दशा में कर दिया जाये तथा समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर दिनांक 10.10.2014 तक निस्तारण की स्थिति से मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

अभी कतिपय स्थानों पर सभी लम्बित संशोधन प्रार्थनापत्रों का निस्तारण नहीं हुआ है और इसके लिए और समय की मांग की गयी है। तत्क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि सभी पुराने लम्बित पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन संबंधी कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31.10.2014 तक करना सुनिश्चित करें तथा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर दिनांक 05 नवम्बर 2014 तक प्रत्येक दशा में उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निस्तारण की अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। इस तिथि के बाद कोई समयावधि नहीं बढ़ाई जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद जिस अधिकारी के पास निस्तारण हेतु ऐसे प्रार्थनापत्र अवशेष रहते हैं। उनके नाम, पदनाम तथा लम्बित रहने के कारण से मुख्यालय को 10 नवम्बर 2014 तक अवगत कराया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

1.10.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश